राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने खरीदे हैंडलूम उत्पाद

'स्थानीय उत्पाद अपनाकर बुनकरों और कारीगरों के श्रम को सम्मान दें'

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एमआई रोड स्थित हैंडलूम स्टोर पहुंचकर विभिन्न हथकरघा उत्पाद खरीदे और 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश दिया।

जयपुर (कासं)। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एमआई रोड स्थित हैंडलूम स्टोर पहुंचकर विभिन्न हथकरघा उत्पाद खरीदे और 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हथकरघा उद्योग लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाड़मेर, सांगानेर और बगरू सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय उत्पाद देश-विदेश में पहचान बना रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील करते हुए कहा कि इससे बुनकरों, कारीगरों और छोटे दुकानदारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों में कारीगरों का परिश्रम और पसीना जुड़ा है, इसलिए इनके उपयोग के माध्यम से उनके श्रम का सम्मान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार 'एक जिला-एक उत्पाद' और 'पंच गौरव' कार्यक्रमों के माध्यम से जिलों के विशिष्ट उत्पादों, स्थानीय संस्कृति और कला को प्रोत्साहित कर रही है।

देशी पिस्टल के साथ बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर शहर में अवैध हथियारों की धरपकड़ और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत मुहाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को अवैध देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हथियार लेकर घूम रहा था। जयपुर पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि मुहाना थाना पुलिस ने ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत कार्रवाई करते हुए संदीप वैष्णव (23) निवासी केकड़ी जिला अजमेर हाल मुहाना मंडी जयपुर को गिरफ्तार किया गया है।

जयपुर में कल निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत रविवार, 9 अगस्त को जयपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अभियान के प्रदेश संयोजक एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मिथिलेश गौतम ने बताया कि तिरंगा यात्रा सुबह 9 बजे अल्बर्ट हॉल से प्रारंभ होकर बड़ी चौड़ तक जाएगी। यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन शामिल होंगे। डॉ. गौतम ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना को बढ़ावा देना है।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री गोपाल बागड़ा पुत्र श्री गंगाराम, निवासी-किशनपुरा पंचायत समिति हरदत्तपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जयपुर के कब्जे एवं काश्त कि कृषि भूमि वाकेग्राम चक सरना डूंगर, तहसील कालवाड़ जिला जयपुर मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 14/65 कुल रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा मे हिस्सा 4.73 बीघा अविभाजित भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज अमल है, मेरे अभिभाष्य का पुत्र रामनिवास मेरे अभिभाष्य के कहने मे नही है तथा मादक पदार्थों का नशे करने का आदि है। मेरे अभिभाष्य के पुत्र रामनिवास से जो कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी मेरे अभिभाष्य की उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का लेनदेन या संव्यवहार करता है तो उक्त सभी लेन-देन, संव्यवहार मेरे अभिभाष्य के विधिक अधिकारो के विरूद्ध अवैध व शून्य होगे, अगर मेरे अभिभाष्य के पुत्र रामनिवास से किसी भी व्यक्ति संस्था या कम्पनी के द्वारा किसी भी प्रकार का धन सम्बन्धी, चल सम्पत्ति सम्बन्धी या अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित संव्यवहार किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनी, दीगर व्यक्ति की होगी मेरे अभिभाष्य की नही होगी। सूचित रहे।
जयपुर रामलाल शर्मा / देशराज रावत, एडवोकेट्स
दिनांक 07-08-2026 मो.-9414249243

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे०एल०एन० मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853
क्रमांक-2507 दिनांक-17/07/26
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 5/ह/16 नाहरी का नाका, जयपुर, क्षेत्रफल 114.00 वर्ग मीटर का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 5445 दिनांक 14/03/1995 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री राम चन्द के पक्ष मे जारी किया गया। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर-द्वितीय मे दिनांक 23/03/1995 को करवाया गया है। तत्पश्चात श्री रमेश चन्द पुत्र श्री राम चन्द के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्री बालकिशन पुत्र श्री आतुमल जी सिंधी जसवानी को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर-द्वितीय मे दिनांक 02/05/1998 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री बालकिशन पुत्र श्री आतुमल जी सिंधी जसवानी के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्री पवन कुमार चौहान पुत्र श्री विजयपाल सिंह को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर-पंचम मे दिनांक 02/05/2007 को करवाया गया। श्री पवन कुमार चौहान पुत्र श्री विजयपाल सिंह के द्वारा उक्त आवास का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम क्रेता का नाम मण्डल अभिलेख मे दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध मे किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री पवन कुमार चौहान पुत्र श्री विजयपाल सिंह का नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जायेगा।
सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत तृतीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल वृत-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853
क्रमांक:- 2769 **आम जाहिर सूचना** दिनांक:- 05.08.26
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या 8/H/171 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 236.25 वर्ग मीटर का आवंटन श्री विक्रम मंगवानी पुत्र श्री रघुनाथ को किया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 10111 दिनांक 16/07/2010 जारी किया गया था। भूखण्ड के मूल आवंटी श्री विक्रम मंगवानी पुत्र श्री रघुनाथ मंगवानी के द्वारा उक्त भूखण्ड के संबंध में अपने पिता श्री रघुनाथ मंगवानी को मुख्त्यारनामाआम नियुक्त किया गया। उक्त मुख्त्यारनाआम Consul General of India Tenerife में दिनांक 27/08/2010 को निष्पादित है। तत्पश्चात मुख्त्यारनाआम आधार श्री रघुनाथ मंगवानी के द्वारा उक्त भूखण्ड आवंटन पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर, षष्टम में दिनांक 23/07/2010 को करवाया गया। तत्पश्चात भूखण्ड के मूल आवंटी श्री विक्रम मंगवानी पुत्र श्री रघुनाथ मंगवानी के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्रीमती नीलम बलाना पत्नी श्री विनोद बलाना को कर दिया गया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उपपंजीयक जयपुर षष्टम में दिनांक 17/10/2011 को करवाया गया। श्रीमती नीलम बलाना पत्नी श्री विनोद बलाना के द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रशासनिक शुल्क जमा की रसीद की प्रति, अण्डरटेकिंग, मुख्त्यारनामाआम की छाया प्रति, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छाया प्रति, स्वयं एवं गवाह का पहचान पत्र प्रस्तुत कर उक्त विकसित भूखण्ड का हस्तान्तरण अपने पक्ष में कर करने हेतु आवेदन किया गया हैं। उक्त हस्तान्तरण के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ती हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती नीलम बलाना पत्नी श्री विनोद बलाना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर उनके पक्ष में उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का नवीन पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जायेगी। **सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.म., जयपुर**

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 19/26
उत्तराधिकार के लिए प्रार्थना-पत्र
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम निशा टांक पत्नी सुरेन्द्र टांक
विवाद स्थान.....
मृतक सुरेन्द्र कुमार टांक की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक-.....
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम सुरेन्द्र कुमार टांक पुत्र मोतीलाल टांक जाति... निवासी 10/136 सेक्टर नं.10 मालवीय नगर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 18 माह 08 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 05 माह 08 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
रीडर
अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश
संख्या-11, जयपुर महानगर प्रथम
मुख्यालय सांगानेर
मोहर अदालत

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निर्मला भट्टड़ धर्मपत्नी चन्द्रप्रकाश भट्टड़ के प्लाट नं. 21 न्यू कोहिनूर सिटी चाकसू में है। जो 111.11 गज का है जिसके मूल दस्तावेज मेरे से खो गये है जिसकी FIR भी करवा दी गई। अगर किसी व्यक्ति को मिले तो मुझे सूचित करें अन्यथा मेरे द्वारा जारी करने वाली सोसाइटी बाबा आर एन गौड़ गृह निर्माण सहकारी समिति को डुप्लीकेट पट्टा जारी करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है सूचित रहे अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे या सोसाइटी को 7 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें।
चन्द्रप्रकाश भट्टड़ 6350286057

नाम परिवर्तन
मै मेरा नाम मनीष से बदल कर मनीष कुमार चंदानी पुत्र शिर चेतन दास निवासी 61/72, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर रख रहा हूँ भविष्य में मुझे मेरे उक्त नये नाम से ही जाना पहचाना जावे

खोया पाया
मेरी एम.बी.बी.एस. (MBBS) प्रथम प्रोफेशनल एवं द्वितीय प्रोफेशनल की मूल अंकतालिकाएँ, जिसका एनरोलमेंट नंबर 144173 है, वास्तव में खो गई है। मिलने पर सूचित करे। ऋत्विक अग्रहरि पुत्र धनेश अग्रहरि, निम्स मेडिकल कॉलेज जयपुर (राजस्थान)

'तथ्यों के बिना सत्यापन अधिकारी जारी नहीं करें जन्म प्रमाण पत्र'

- भरतपुर एसपी अदालती अवमानना को लेकर दें जवाब : हाईकोर्ट

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने किशोरियों के अवैध हिरासत से जुड़े मामलों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पेश करने के बढ़ते चलन पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी करें कि वे वैधानिक प्रावधानों के परे और तथ्यों के उचित सत्यापन के बिना इतनी लापरवाही से जन्म प्रमाण पत्र जारी ना करें। अदालत ने ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि अतिरिक्त महाधिवक्ता मुख्य सचिव को ऐसे मामलों की सूची उपलब्ध करा सकते हैं। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश भूरी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिए।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपों के साथ-साथ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का आरोप लगाते हुए भरतपुर के चिकसना थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वहीं पंजीकृत डाक से एसपी ऑफिस को भेजे प्रार्थना पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में भरतपुर एसपी बताए कि संज्ञेय अपराध का खुलासा होने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करने पर क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई आरंभ की जाए। अदालत ने आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए एएजी को दो सप्ताह का समय देते हुए लापता लड़की को पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। अदालत ने कहा कि कोर्ट में ऐसी कई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं आई हैं जिनमें नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप है। इन मामलों में पक्षकार बनाए गए लोगों की ओर से सक्षम अधिकारी के लड़की को बालिग बताते हुए जारी जन्म प्रमाण पत्र पेश किया जाते हैं, लेकिन बाद में वे वैधानिक प्रावधानों की अवहेलना कर जारी किए हुए पाए जाते हैं। दरअसल इस मामले में एक नाबालिग लापता हो गई थी। जिसकी बरामदगी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश हुई। वहीं भरतपुर के सेवर के सक्षम अधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र सामने आया, जिसमें लापता बालिग बताई गई।

खरगे जैसे वरिष्ठ नेता भी प्रश्नकाल में कर रहे हंगामा : मदन राठौड़

- कांग्रेस महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा से बचकर केवल हंगामा कर रही : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संसद के दोनों सदनों में विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस द्वारा लगातार किए जा रहे हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह मुद्दाविहीन हो चुकी है और जनहित, विकास तथा राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर चर्चा करने के बजाय सदन में हंगामा कर सुर्खियां बटोरना उसका मकसद रह गया है।

राठौड़ ने कहा कि संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें राष्ट्रहित के साथ परीक्षाओं में नकल रोकने से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं। ऐसे विषयों पर विपक्ष को गंभीर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने बहस से दूरी बनाकर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सरकार से जवाबदेही तय करने और जनता के मुद्दे उठाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जैसे वरिष्ठ नेता भी प्रश्नकाल के दौरान हंगामा कर रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि शून्यकाल में भी गंभीर मुद्दों पर चर्चा के बजाय शोर-शराबा किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस से हंगामे की राजनीति छोड़कर जनहित और राष्ट्रहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा में भाग लेने का आव्हान किया।

कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देकर महिला ने 20 हजार रु. ठगे

जयपुर। राजधानी जयपुर में एक व्यक्ति को निजी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। एक महिला ने शादी के बहाने बातचीत शुरू कर पीड़ित की निजी कॉल रिकॉर्ड कर ली और उसे वायरल करने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 20 हजार रुपए ऐंठ लिए। अब महिला की ओर से दोबारा 1 लाख रुपए की मांग किए जाने पर पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार मामला वर्ष 2025 का है। पीड़ित की मुलाकात बारिश के दौरान एक दुकान के बाहर आरोपी महिला से हुई थी। बातचीत में महिला ने खुद को तलाकशुदा बताते हुए शादी के लिए अच्छे जीवनसाथी की तलाश की बात कही। उसने पीड़ित से भी कोई अच्छा रिश्ता होने पर बताने को कहा। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई।

पीड़ित का आरोप है कि बातचीत के दौरान महिला ने धीरे-धीरे उसके परिवार, दोस्तों और परिचितों के बारे में जानकारी जुटा ली। इसके बाद योजना के तहत उनकी निजी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी।

पीड़ित के अनुसार, अगस्त 2025 में महिला ने उसे कॉल कर रिकॉर्डिंग होने की जानकारी दी और उसे परिजनों व परिचितों के बीच वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी।

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज.)
क्रमांक :आयोजना शाखा/सीएलयू/विज्ञप्ति/2026-27 दिनांक - यथा हस्ताक्षर
सार्वजनिक विज्ञप्ति
आवेदक श्रीमती प्रियंका बघेला पत्नी श्री गजेन्द्र पाल निवासी- 600, एसपीएम नगर, भरतपुर द्वारा भूखण्ड संख्या 195-ए क्षेत्रफल 248.25 वर्गमीटर, योजना एसपीएम नगर, भरतपुर का आवासीय भू-उपयोग से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन (आवासीय से मिश्रित) प्रयोजनार्थ के लिए कार्यालय भरतपुर विकास प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया है।
अतः आवेदक श्रीमती प्रियंका बघेला पत्नी श्री गजेन्द्र पाल के पक्ष में उक्त भूखंड का प्राधिकरण द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन (आवासीय से मिश्रित) किये जाने पर, किसी व्यक्ति या संस्था आदि को कोई आपत्ति/आक्षेप हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करे। अन्यथा बाद म्याद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होंगी एवं भूखण्ड का मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन कर दिया जावेगा।
निदेशक नगर आयोजना, भरतपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

क्रमांक / शहरी सेवा शिविर / न.नि.भ. / 2026-27 / 10349 दिनांक : 06/08/2026

आपत्ति सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम भरतपुर शहरी क्षेत्र में निम्न आवेदकों द्वारा स्टेट ग्रांट एक्ट / नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए / स्टेटग्रांट / नाम हस्तांतरण / भवन निर्माण स्वीकृति / उपविभाजन / रि-इश्यू / पुनर्गठन का पट्टा चाहने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर पत्रावलियाँ प्राप्त हुई हैं। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य प्रस्तुत करें। बाद अवधि के किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा बाद समस्त जाँच के आवेदक को स्टेट ग्रांट एक्ट / नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए के तहत / कच्ची बस्ती के तहत पट्टा जारी किये जाने की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

क्र. सं.	ऑनलाइन पत्रावली सं०	आवेदक का नाम	पति/पत्नी का नाम	वार्ड नं.	भूखण्ड जहां स्थित है	आवेदन का प्रकार
1	446564	रामकला	रामफल	14	गोपाल नगला भरतपुर	स्टेट ग्रांट
2	446579	मुन्नी देवी	कन्हैया लाल	42	बी-नारायण गेट भरतपुर	स्टेट ग्रांट
3	446647	सरदार सिंह	लेखराज सिंह	65	तुहिया भरतपुर	स्टेट ग्रांट
4	446710	माया देवी	लक्ष्मी चन्द	38	बिजली घर के पास भरतपुर	स्टेट ग्रांट
5	446778	दिनेशचन्द, सुनील कुमार	प्रेम सिंह	21	कुम्हेर गेट, भरतपुर	स्टेट ग्रांट
6	446815	निरंजन सिंह	लेखराज सिंह	65	तुहिया भरतपुर	स्टेट ग्रांट
7	446882	पूरन देई	प्रेमानन्द	20	अटलबन्ध सिरकीपाडा भरतपुर	स्टेट ग्रांट
8	446944	रामवती देवी	कुंवर सिंह	65	तुहिया भरतपुर	स्टेट ग्रांट
9	447010	निरंजन सिंह	लेखराज सिंह	65	तुहिया भरतपुर	स्टेट ग्रांट
10	447037	गिरधारीलाल	जगदीश प्रसाद	18	अनाह गेट भरतपुर	स्टेट ग्रांट
11	447056	रघुवीर सिंह	कलुआ राम	40	14 महादेव गली भरतपुर	स्टेट ग्रांट
12	447158	निरंजन सिंह	लेखराज सिंह	65	तुहिया भरतपुर	स्टेट ग्रांट
13	447292	भूरी सिंह	नारायन	27	माली मोहल्ला कुम्हेर गेट	स्टेट ग्रांट
14	447353	विजय बंसल	प्रकाश चन्द	7	अनाह गेट भरतपुर	69ए
15	447398	बसंत कुमार अग्रवाल	पुन्नालाल	39	अटलबन्ध भरतपुर	स्टेट ग्रांट
16	447409	शान्ति देवी	घनश्याम	NA	अटलबन्ध भरतपुर	69ए
17	447441	किशनलाल	बाबू लाल	22	बीनारायण गेट भरतपुर	स्टेट ग्रांट
18	447550	विष्णुदत्त, दाऊदयाल शर्मा	कन्हैया लाल	20	पुराना बस स्टण्ड रूपला पायसा	स्टेट ग्रांट
19	447674	चन्द्रभान	धर्म सिंह	33	गोपाल नगला भरतपुर	स्टेट ग्रांट
20	447778	कल्लूराम	फुसियाँ	13	अनाह सेवर रोड	स्टेट ग्रांट
21	447855	तोतीराम	निराती	12	अनाह सेवर रोड	स्टेट ग्रांट
22	447871	प्रहलाद सिंह	रामहेत सिंह गुर्जर	33	धाऊ पायसा अटलबन्ध भरतपुर	स्टेट ग्रांट
23	448008	अलोक सिंघल	गोपाल चन्द सिंघल	41	बी-नारायण गेट भरतपुर	69ए
24	448015	किरन देई	पदम सिंह	3	रहगानपुरा	स्टेट ग्रांट
25	448089	किशोरीलाल	पुन्ना	22	धीगर मोहल्ला बी नारायण गेट	स्टेट ग्रांट
26	448155	मेघन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह	NA	अटलबन्ध भरतपुर	स्टेट ग्रांट
27	448180	रवि प्रकाश सोनी	रामस्वरूप	23	लक्ष्मण मंदिर के पीछे भरतपुर	स्टेट ग्रांट
28	448216	राकेश	राधेलाल	22	धीगर मोहल्ला बी नारायण गेट	स्टेट ग्रांट
29	448237	यश कुमार शर्मा	चरन वल्लभ शर्मा	34	गोपालगढ़ भरतपुर	स्टेट ग्रांट
30	448239	जसवंत सिंह	सीताराम	10	पकडेडे वाली गली सेवर	स्टेट ग्रांट
31	448246	संजय सिंह	प्रताप सिंह	19	कुम्हेर गेट सैनी मोहल्ला भरतपुर	स्टेट ग्रांट
32	448275	अमित	किशन सिंह	20	कुम्हेर गेट कसाई गली भरतपुर	स्टेट ग्रांट
33	448294	रामवती	पदम सिंह	NA	बुद्ध की हाट भरतपुर	स्टेट ग्रांट
34	448308	निहाल सिंह	भौंगा	15	नगला राह गप्ताह भरतपुर	स्टेट ग्रांट
35	448329	संजय गुप्ता	निलाम्बर कुमार	26	कोतवाली भरतपुर	स्टेट ग्रांट
36	448333	रंजना सारस्वत	सतीश कुमार	NA	धीगर मोहल्ला बी नारायण गेट	69ए
37	448388	गौरी शंकर	किशन लाल	30	नमक कटरा भरतपुर	स्टेट ग्रांट
38	448389	सरोज देवी	गोपाल	23	नीम दरवाजा भरतपुर	69ए
39	448427	पुष्पेन्द्र सिंह	सोनाराम	1	मलाह भरतपुर	स्टेट ग्रांट
40	448429	माया देवी	लेखराज	26	कोडियन मोहल्ला भरतपुर	स्टेट ग्रांट
41	448491	चतुर सिंह, बच्चू सिंह	पातीराम	17	मलाह भरतपुर	स्टेट ग्रांट
42	448500	महावीर	भमरा	17	मलाह भरतपुर	स्टेट ग्रांट
43	448511	रामकिशन	भोला राम	20	अनाह गेट भरतपुर	69ए
44	448565	निर्मल कुमार	भाग चन्द	37	कोतवाली बाजार कुम्हेर गेट भरतपुर	स्टेट ग्रांट
45	448579	अशोक कुमार	शिवराम सिंह	34	गोपालगढ भरतपुर	स्टेट ग्रांट
46	448641	इन्द्रजीत सिंह	प्रीतम सिंह	38	कन्नी गुर्जर चौराहा भरतपुर	69ए
47	448732	राम कुमार	कन्नो राम	27	अनाह गेट रूपराम कुण्डा भरतपुर	स्टेट ग्रांट
48	448784	रघुराज सिंह	यदुवीर सिंह	65	तुहिया भरतपुर	स्टेट ग्रांट
49	448795	विश्वेन्द्र सिंह	पुन्ना लाल	20	अनाह गेट भरतपुर	स्टेट ग्रांट
50	448807	शमशेर सिंह	यदुवीर सिंह	65	तुहिया भरतपुर	स्टेट ग्रांट
51	448832	जितेन्द्र व अजीत	किशन सिंह	31	नदिया मोहल्ला भरतपुर	स्टेट ग्रांट
52	402886	प्रेमचन्द गोयल	कुंजी लाल गोयल	NA	कोतवाली के पीछे कोटमनिया	स्टेट ग्रांट
53	432844	गजेन्द्र मित्तल	नरेन्द्र मित्तल	24	कुम्हेर गेट भरतपुर	स्टेट ग्रांट
54	449143	कमलेश	छितर	10	सिकलीघर मोहल्ला भरतपुर	स्टेट ग्रांट
55	449276	रामेश्वर प्रसाद शर्मा	केदार नाथ	20	रूपला प्यासा लक्ष्मण मंदिर भरतपुर	स्टेट ग्रांट
56	449305	कुलदीप शर्मा	गंगा सिंह धनकर	NA	गोपालगढ भरतपुर	स्टेट ग्रांट
57	449431	बलवंत सिंह	सोना सिंह	32	मथुरा गेट गोलबाग भरतपुर	स्टेट ग्रांट
58	449465	राजकुमार ओलिया	घनश्याम दास	NA	नदिया मोहल्ला भरतपुर	स्टेट ग्रांट
59	449556	टुण्डाराम	शिवो	59	डिगम्बर का नगला भरतपुर	स्टेट ग्रांट
60	449578	मनोज कुमार	नरेन्द्र कुमार	NA	वासन गेट भरतपुर	स्टेट ग्रांट

प्राधिकृत अधिकारी
नगर निगम, भरतपुर

कार्यालय नगर परिषद गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राज.)

क्रमांक: 3556 दिनांक: 07.08.2026

सार्वजनिक आपत्ति विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे लिखित आवेदकों के आगे वर्णित स्थान पर **90ए/90बी/69ए/पुरानी आबादी** के तहत पट्टा चाहा गया है जो निम्न है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल वर्गमीटर	आवासीय/व्यवसायिक
1	राजीव शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा	गंगापुर	456	121.60	आवासीय
2	प्रहलाद प्रजापत पुत्र श्री बच्चू सिंह प्रजापत	बाढसालोदा	15 से 20	124.79	आवासीय
3	पप्पू खां पुत्र श्री गबरू	घास मण्डी गंगापुर		38.49	आवासीय
4	उषा पत्नी श्री धर्मेन्द्र	मिर्जापुर	952,953,955	167.22	आवासीय
5	हरिप्रसाद शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल	सूरसागर गंगापुर		75.80	आवासीय
6	बाबू लाल बैरवा पुत्र श्री मिश्रा बैरवा	सालोदा	443	92.90	आवासीय
7	रामावतार गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल	उदेईकलां	5758,5757 /6445	295.98	आवासीय
8	रामावतार गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल	उदेईकलां	5755	178.37	आवासीय
9	रमेश कुमार मीना पुत्र श्री रतन लाल मीना	गंगापुर	441 से 449	120.77	आवासीय
10	तोताराम बैरवा पुत्र श्री जगमोहन बैरवा	गंगापुर	463	109.25	आवासीय
11	कालूराम मीना पुत्र श्री सुक्याराम मीना	सालोदा	2	111.48	आवासीय
12	प्रकाशी देवी पत्नी श्री कालूराम मीना	सालोदा	2	111.48	आवासीय
13	रामप्रसाद माली पुत्र श्री रूपचंद माली	उदेईकलां	5612	109.88	आवासीय
14	लक्ष्मी देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद	बाढसालोदा	69	104.05	आवासीय
15	हरिचरण मीना पुत्र श्री नाथूलाल मीना	महानन्दपुर	66	111.48	आवासीय
16